राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1686/2012/बीकानेर

श्री राठी बन्धु संस्थान
बीकानेर .....अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी
करापंवचन,बीकानेर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय,सदस्य

उपस्थितः:

श्री वी.के.पारीक
अभिभाषक अपीलार्थी की ओर से

श्री अनिल पोखरणा
उप राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक :–27.02.2017

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विद्वान उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 60/आरवैट/बीकानरेर/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 19.06.2012 के विरूद्ध पेश की गई है, जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, बीकानेर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 25 एवं 61 के कर निर्धारण आदेश दिनांक 07.03.2011 पारित करते हुए कर रू. 80,391/–, ब्याज रू. 5587/– व शास्ति रू. 91,562/–आरोपित करते हुए कुल रू. 1,77,540/–की मांग सृजित की गई थी, जिसको उन्होंने निरस्त करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया था। उक्त प्रतिप्रेषण आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील की सुनवाई आरम्भ होते ही विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बताया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.06.2012 से प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को पुनः जांच पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया था, जिसकी पालना में कर निर्धारण अधिकारी ने पुनः कर निर्धारण दिनांक 20.05.2014 को पारित कर दिया गया है, इसलिए जिस आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई थी, वह आदेश अब अस्तित्व में नहीं रहा है । अतः अपील सारहीन (Infructuous) हो जाने से अस्वीकार योग्य है।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक द्वारा विद्वान उप राजकीय अभिभाषक के कथन का विरोध करते हुए गुणववगुण पर निर्णय पारित करने का तर्क प्रस्तुत किया।

दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया गया तथा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 19.06.2012 एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.09.2006 के अवलोकन पर ज्ञात होता है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पुनः जांच कर आदेश पारित करने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया था। बहस के दौरान विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बताया कि उक्त प्रतिप्रेषित आदेश के अनुसरण में कर निर्धारण अधिकारी ने पुनः [redacted] कर निर्धारण आदेश दिनांक 20.05.2014 को पारित किया जा चुका है।

अतएव अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषित आदेश दिनांक 19.06.2012 की पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुनः कर निर्धारण आदेश पारित (उक्त कर निर्धारण आदेश की प्रति कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के पेज 156 पर उपलब्ध है) कर दिये जाने से अब अपीलीय अधिकारी के प्रकरण प्रतिप्रेषित करने सम्बन्धी अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध विचाराधीन अपील चलने योग्य नहीं रहती है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **सहायक आयुक्त हनुमानगढ़ बनाम मैसर्स मोहित ट्रेडिंग (2009) 25 टैक्स अपडेट 59,** के अभिनिर्णय में भी ऐसा ही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

परिणामतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.06.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई प्रश्नगत अपील सारहीन (Infructuous) हो जाने से एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य